HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 207/2021

Ravi Singh Son Of Shri Rakesh Singh, Resident Of Aashram Road, Village Rasol, District Motihari Bihar, At Present Vashist Manali Police Station Manali, Himachal Pradesh (At Present Confined In Central Jail, Jaipur)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Rajveer Singh, Adv. Ms. Seema Shekhawat, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

21/05/2026

एकल पीठ दांडिक अपील के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इस अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है। अभिलेख तलब किया जावे।

In S.B. Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 1802/2025

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण, जयपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **52/2016** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 26.09.2018 के माध्यम से धारा 8/20(b)ii(c) एन डी पी एस एक्ट में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 15 वर्ष के **कठोर** कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है, करीब 09 वर्ष आठ माह की सजा भुगत चुका में है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त **रविसिंह पुत्र राकेश सिंह की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की शर्त पर** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि वह इस न्यायालय में **दिनांक 23.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय** द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 26.09.2018** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

31/Murari Lal Sharma/418